राजस्थान सरकार

राज्य उच्च स्तरीय समिति, सी ब्लॉक, वित्त भवन जयपुर

क्रमांक- 529 दि0 28/07/2014

आवश्यक

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक
   (एच.ओ.एफ.एफ.), वन भवन, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक
   कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त
   अरावली भवन झालाना डूंगरी, जयपुर।

विषयः— राज्य उच्च स्तरीय समिति की आगामी बैठक हेतु एजेन्डा निर्धारण बाबत।

महोदय,

जैसा कि आपको विदित ही है कि डॉ0 परमेश चन्द्र आई.ए.एस.(सेवा निवृत) की अध्यक्षता में गठित राज्य उच्च स्तरीय समिति अपने अन्य दायित्वों के साथ वन विभाग एवं राजस्व विभाग तथा निजी खातेदारों के मध्य लम्बे अर्से से चले आ रहे विभिन्न विवादों के समाधान हेतु प्रयासरत है। इस संबंध में पूर्व में भी कतिपय बैठकों का आयोजन किया जा चुका है। इस दिशा में पूर्व बिन्दुओं के अलावा निम्न बिन्दुओं पर भी विचार विमर्श आवश्यक हैः—

1. वन अधिनियम, 1980 के लागू होने के पश्चात राजस्व अभिलेख में वन विभाग के नाम दर्ज भूमि अथवा नोटिफाइड वन भूमि पर कृषकों द्वारा अपना हित या अधिकार दर्शाने पर राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार के सम्बन्ध में विमर्श।
2. वन विभाग के स्वत्व एव अधिकार की भूमि पर राजस्व न्यायालय द्वारा किसानों को खातेदारी अधिकार प्रदान करने के प्रकरणों पर विमर्श।
3. राज्य सरकार की भूमि (सिवायचक) तथा निजी खातेदारी भूमि (जो नोटिफाइड नहीं है) पर वन विभाग का आधिपत्य (कब्जा) होने की स्थिति में राजस्व न्यायालय का श्रवणाधिकार।
4. वन विभाग, राजस्व विभाग, खनन विभाग एवं निजी खातेदारों की भूमि का सीमा विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय का स्तर निर्धारण।

उक्त बिन्दुओं के अलावा अगर आपके विचार एवं दृष्टि में अन्य कोई प्रासंगिक बिन्दु हो तो कृपया उनका भी संक्षिप्त विवरण के साथ अंकन करने का कष्ट करें।

कृपया उपरोक्तानुसार आगामी बैठक हेतु एजेन्डा बिन्दु आपकी संक्षिप्त टिप्पणी के साथ 15 योग के अन्दर प्रेषित करने का कष्ट करें।

परामर्शक
राज्य उच्च स्तरीय समिति

राज्य उच्च स्तरीय समिति के एजेण्डे/अत्यावश्यक/आज ही जारी हो

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः प.2( )2013/तक./प्रमुवसं/1100-1112 दिनांक 11.08.2014.

निमित्त,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त,
राजस्थान, जयपुर।

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
राजस्थान, जयपुर।

मुख्य वन संरक्षक,
जयपुर/भरतपुर/कोटा/उदयपुर/
जोधपुर/अजमेर।

मुख्य वन संरक्षक,
वन्य जीव, जयपुर/भरतपुर/कोटा/
उदयपुर/जोधपुर।

विषयः—राज्य उच्च स्तरीय समिति की आगामी बैठक हेतु एजेन्डा निर्धारण बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत परामर्शक, उच्च स्तरीय समिति, जयपुर के पत्र क्रमांक 529 दिनांक 28.07.2014 की प्रति संलग्न प्रेषित कर निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त समिति द्वारा वन विभाग एवं राजस्व विभाग तथा निजी खातेदारों के मध्य लम्बे अर्से से चले आ रहे विभिन्न विवादों के समाधान हेतु पत्र में उल्लेखित विभिन्न बिन्दुओं के संबंध में विचार—विमर्श किये जाने के अलावा अगर आपके विचार एवं दृष्टि में अन्य कोई प्रासंगिक बिन्दु हो तो कृपया उनका भी संक्षिप्त विवरण के साथ अंकन करने का कष्ट करें। साथ ही उल्लेखित बिन्दुओं के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट 5 दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः— उक्तानुसार

भ व दी य,

(पी.एस सोमशेखर)
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन सुरक्षा),
राजस्थान, जयपुर

D:\B.K.koolwal\Doc2.doc